# अध्याय-2

# वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

# अध्याय 2 | वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

## 2.1 प्रस्तावना

**2.1.1** विनियोग लेखे व्यय के लेखे हैं, जिसमें सरकार के प्रत्येक वर्ष के दत्तमत एवं भारित व्ययों की, विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उदेश्यों लिए दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों की राशियों के साथ तुलना की जाती है। यह लेखे, वास्तविक बजट प्राक्कलन, अनुपूरक अनुदान, समर्पण और पुनर्विनियोग को पृथक रूप से संसूचित करते हैं और बजट के भारित और दत्तमत दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम में प्राधिकृत व्यय के सापेक्ष विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। अत: विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को आसान बनाते हैं और इसलिए वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

**2.1.2** विनियोगों की लेखा परीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अन्दर है और जब कभी व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, तब भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय, विधि संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

## 2.2 बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत) के नियम 52 के अनुसार, राज्य के बजट प्राक्कलन को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाना हैं। इस नियमावली के नियम 78 के अनुसार प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा तैयार प्राक्कलन की जाँच वित्त विभाग द्वारा किया जाना है और सरकार के बजट के प्रथम संस्करण उपस्थापन हेतु संकलित की जाती है। व्यय के नियंत्रण हेतु नियम बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत) में समाहित हैं। राज्य के बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार समस्त अनुमानित बचतों को सरकार को तुरन्त अभ्यर्पित कर देना चाहिए यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी इकाई के अधिकाई व्यय को समाहित करने हेतु आवश्यक न हों। भविष्य के संभावित अधिकाई हेतु किसी बचत को नहीं रखा जाना चाहिए। आगे, व्यय की किसी खास नयी इकाई हेतु या दत्तमत अनुदानों के संभावित अधिकाई को आच्छादित करने हेतु वित्त विभाग के परामर्श के बाद अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये जाने चाहिए। वर्ष 2012-13 के दौरान अनेक अनुदानों में विशाल बचत एवं आधिक्यों को

देखा गया जो बजट प्रबंधन में कमियों को दर्शाता है जिसे आगे की कंडिका में दर्शाया गया है।

## 2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2012-2013 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 2.1** में दी गयी है।

### तालिका 2.1: वर्ष 2012-13 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

*(₹ करोड़ में)*

| | व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान/ विनियोग | अनुपूरक अनुदान/ विनियोग | कुल | वास्तविक व्यय* | बचत(-)/ आधिक्य (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *दत्तमत* | I राजस्व | 25310.32 | 1074.89 | 26385.21 | 20965.76 | (-)5419.45 |
| | II पूँजीगत | 6856.83 | 149.20 | 7006.03 | 4245.12 | (-)2760.91 |
| | III ऋण एवं अग्रिम | 829.37 | 141.00 | 970.37 | 700.81 | (-)269.56 |
| **कुल दत्तमत** | | **32996.52** | **1365.09** | **34361.61** | **25911.69** | **(-)8449.92** |
| भारित | IV राजस्व | 2490.23 | 15.15 | 2505.38 | 2437.34 | (-)68.04 |
| | V पूँजीगत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | VI लोकऋण पुनर्भुगतान | 1627.05 | 0.00 | 1627.05 | 2183.06 | (+)556.01 |
| **कुल भारित** | | **4117.28** | **15.15** | **4132.43** | **4620.40** | **(+)487.97** |
| **सकल योग** | | **37113.80** | **1380.24** | **38494.04** | **30532.09** | **(-)7961.95** |

(स्त्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2012-13)

*व्यय के आँकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹ 26.70 करोड़) तथा पूँजीगत दत्तमत व्यय (₹ 3.23 करोड़) वापसी के समायोजन के बिना सकल आँकड़े हैं।

नोट- वर्ष 2012-13 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 584 करोड़ का व्यय अधिवर्णित था जिनके विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र 30 जून 2013 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, कुल मिलाकर ₹ 7961.95 करोड़ का बचत तीन अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ 9225.13 करोड़ के बचत (राजस्व संभाग के अन्तर्गत 53 अनुदानों एवं चार विनियोगों में कुल ₹ 6191.00 करोड़ एवं पूँजीगत संभाग के अधीन 22 अनुदानों में ₹ 3034.13 करोड़) तथा ₹ 1263.18 करोड़ आधिक्य के प्रतितुलन का परिणाम था। ₹ 1380.24 करोड़ का अनुपूरक उपबंध प्राप्त किया गया जबकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान से कम (18 *प्रतिशत*) था।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा मासिक सिविल लेखा एवं विनियोग लेखा के माध्यम से शीर्षवार व्यय की स्थिति माहवार राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद, विशाल बचत एवं अनुदानों पर आधिक्य व्यय से बचने हेतु सरकारी विभागों द्वारा कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए। झारखण्ड सरकार के

विनियोग लेखे 2012-13 में वर्णित कुल 1260 उप-शीर्षों में से 796 उप-शीर्षों में बचत का कारण एवं 195 उप-शीर्षों में आधिक्य का कारण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

## 2.4 वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन

### 2.4.1 आबंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से स्पष्ट हुआ कि 38 मामलों (30 अनुदानों) में कुल ₹ 7969.92 करोड़, प्रत्येक मामला में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक और कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* या उससे अधिक की बचत हुई जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1*** में दर्शाया गया है। ₹ 9225.13 करोड़ की कुल बचत में, 20 अनुदानों से संबंधित 22 मामलों में ₹ 7866.77 (85 *प्रतिशत*)[1] की बचत हुई जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची**

*(₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या | मूल | अनुपूरक | कुल | वास्तविक व्यय | बचत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व दत्तमत** | | | | | | |
| 1 | 1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग | 604.29 | 106.44 | 710.73 | 446.48 | 264.25 |
| 2 | 18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग | 890.65 | 210.45 | 1101.01 | 793.20 | 307.90 |
| 3 | 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | 1105.87 | 19.66 | 1125.53 | 799.40 | 326.13 |
| 4 | 22-गृह विभाग | 2487.24 | 19.82 | 2507.06 | 2374.90 | 132.16 |
| 5 | 26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | 860.53 | 52.62 | 913.15 | 680.72 | 232.43 |
| 6 | 35-योजना एवं विकास विभाग | 679.05 | 0.19 | 679.24 | 84.86 | 594.38 |
| 7 | 39-आपदा प्रबंधन विभाग | 444.29 | 0.07 | 444.36 | 285.29 | 159.07 |
| 8 | 42-ग्रामीण विकास विभाग | 770.96 | 61.88 | 832.84 | 515.52 | 317.32 |
| 9 | 47-परिवहन विभाग | 449.92 | 0.07 | 449.99 | 333.44 | 116.55 |
| 10 | 48-नगर विकास विभाग | 575.15 | 6.75 | 581.90 | 404.81 | 177.09 |
| 11 | 51-कल्याण विभाग | 765.94 | 50.55 | 816.49 | 566.23 | 250.26 |
| 12 | 56-पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग | 1505.89 | 4.21 | 1510.10 | 1248.05 | 262.05 |
| 13 | 58-माध्यमिक शिक्षा | 702.94 | 22.54 | 725.48 | 487.10 | 238.38 |
| 14 | 59-प्राथमिक एवं जन शिक्षा | 4592.65 | 63.39 | 4656.04 | 3162.76 | 1493.28 |
| 15 | 60-समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग | 1112.28 | 2.01 | 1114.29 | 812.22 | 302.07 |

[1] प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या | मूल | अनुपूरक | कुल | वास्तविक व्यय | बचत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **पूँजीगत-दत्तमत** | | | | | | |
| 16 | 3-भवन निर्माण विभाग | 181.08 | 0.00 | 181.08 | 66.11 | 114.97 |
| 17 | 10-ऊर्जा विभाग | 653.00 | 141.00 | 794.00 | 541.70 | 252.30 |
| 18 | 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | 352.55 | 54.80 | 407.35 | 146.84 | 260.51 |
| 19 | 41-पथ निर्माण विभाग | 1639.45 | 34.00 | 1673.45 | 1498.90 | 174.55 |
| 20 | 48-नगर विकास विभाग | 689.92 | 0.00 | 689.92 | 198.93 | 490.99 |
| 21 | 49-जल संसाधन विभाग | 1632.71 | 23.00 | 1655.71 | 422.86 | 1232.85 |
| 22 | 50-लघु सिचाई विभाग | 356.09 | 6.01 | 362.19 | 194.91 | 167.28 |
| **कुल** | | **23052.45** | **879.55** | **23932.00** | **16065.23** | **7866.77** |

*स्रोतः झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।*

आगे, उपरोक्त अनुदानों के अंतर्गत 68 उप-शीर्षों/योजनाओं में कुल ₹ 5386.36 करोड़ (कुल बचत का 58 *प्रतिशत*) की बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ एवं उससे अधिक) हुई। विनियोग लेखे 2012-13 में प्रदर्शित बचत के कारण सहित बचत के ब्यौरे ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

विशाल बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

### 2.4.2 सतत बचत

16 मामलों में (15 विभागों) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक मामलों में कुल अनुदान का 10 *प्रतिशत* या उससे अधिक की सतत बचत थी **(तालिका 2.3)**।

**तालिका 2.3 : वर्ष 2008-13 के दौरान सतत बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची**

*(₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | अनुदान का नाम एवं संख्या | बचत की राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| | राजस्व -दत्तमत | | | | | |
| 1 | 1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग | 499.65(70) | 178.10(44) | 181.21(39) | 228.82(35) | 264.25(37) |
| 2 | 2-पशुपालन विभाग | 58.61(29) | 54.21(27) | 46.11(22) | 31.52(23) | 35.50(22) |
| 3 | 17-वित्त (व्यावसायिक कर) विभाग | 6.11(20) | 3.79(11) | 8.27(17) | 11.24(18) | 27.17 (38) |
| 4 | 18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग | 34.17(18) | 98.68(28) | 84.27(13) | 168.00(15) | 307.90(28) |
| 5 | 19- वन एवं पर्यावरण विभाग | 40.34(16) | 61.60(23) | 68.35(23) | 52.20(19) | 48.17(15) |
| 6 | 20-स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | 184.31(23) | 480.56(45) | 178.41(21) | 277.93(25) | 326.13(53) |
| 7 | 23-उद्योग विभाग | 83.42(42) | 73.27(32) | 31.89(18) | 157.41(45) | 82.94(29) |

| क्र. सं. | अनुदान का नाम एवं संख्या | बचत की राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
| | **राजस्व -दत्तमत** | | | | | |
| 8 | 26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | 187.81(25) | 162.39(23) | 148.44(19) | 193.07(23) | 232.43(25) |
| 9 | 35-योजना एवं विकास विभाग | 129.49(87) | 72.02(82) | 14.00(46) | 291.78(58) | 594.38(88) |
| 10 | 40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 32.11(13) | 47.00(17) | 27.94(11) | 79.15 (24) | 77.17(23) |
| 11 | 43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | 76.74(50) | 66.06(59) | 51.83(41) | 40.29(42) | 37.03(40) |
| 12 | 49-जल संसाधन विभाग | 17.52(09) | 57.85(22) | 30.98(13) | 83.77(27) | 92.55(29) |
| 13 | 51-कल्याण विभाग | 219.46(23) | 304.76(28) | 208.83(16) | 309.14(33) | 250.26(31) |
| | **पूँजीगत-दत्तमत** | | | | | |
| 14 | 10- ऊर्जा विभाग | 68.92 (17) | 383.67 (61) | 132.56 (32) | 1130.05 (87) | 252.30 (32) |
| 15 | 41-पथ निर्माण विभाग | 88.05(14) | 230.19(31) | 146.70(18) | 899.94(53) | 174.55(10) |
| 16 | 49- जल संसाधन विभाग | 254.29(48) | 277.49(56) | 153.71(40) | 714.70(78) | 1232.85(74) |

*स्रोत: विनियोग लेखे*

*(कोष्ठक के आँकड़े कुल अनुदान के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)*

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विशाल बचत वर्षों से जारी रही जो अनुदानों के अन्तर्गत अनुचित आकलन को इंगित करती है। आगे, उपरोक्त तालिका में वर्णित पाँच विभाग जो आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं से संबद्ध है के कुछ मुख्य स्कीमों में बचत के ब्यौरों की चर्चा नीचे की गई है:

## अनुदान सं. 1-कृषि एवं गन्ना विभाग

राज्य में कृषि के विकास के लिए चलाये गए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम एवं ग्रामीण बीज कार्यक्रम में विशाल बचत हुई जो नीचे तालिका में दिखाया गया है:

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट | बचत | बजट | बचत | बजट | बचत |
| राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम 2401-00-109-28 (योजना) | 4.14 | 4.14 (100) | 6.90 | 4.82 (70) | 4.52 | 1.28 (28) |
| राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम 2401-00-796-28 (योजना) | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 1.60 (20) | 6.01 | 1.53 (26) |
| राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम 2401-00-109-28 (सी.एस.एस) | 23.46 | 22.06 (94) | 39.10 | 39.10 (100) | 20.63 | 20.63 (100) |
| राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम 2401-00-796-28 (सी.एस.एस.) | 27.54 | 27.29 (99) | 45.90 | 45.90 (100) | 27.54 | 27.54 (100) |
| ग्रामीण बीज कार्यक्रम 2401-00-796-49 (सी.पी.एस.) | 11.00 | 5.38 (49) | 2.97 | 2.93 (99) | 7.70 | 6.55 (85) |
| ग्रामीण बीज कार्यक्रम 2401-00-800-49 (योजना) | 9.00 | 4.68 (52) | 2.53 | 2.34 (93) | 7.15 | 5.90 (82) |

*(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)*

*स्रोत: वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के विनियोग लेखे।*

अंतिम तीन वर्षों के 18 में से 16 मामलों में, बचत के कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया। तथापि, वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा निधियों के विमोचन नहीं किए जाने के कारण शीर्ष 2401-00-796-28-राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अधीन बचत हुई।

### अनुदान सं. 10- ऊर्जा विभाग

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम, पुनर्गठित ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की साख तथा झा.रा.वि.बो. को उत्पादन के लिए दिए गए ऋण में महत्वपूर्ण बचत हुई। ब्यौरे नीचे की तालिका में दिए गए हैं:

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट | बचत | बजट | बचत | बजट | बचत |
| राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2801-01-789-02 (योजना) | 13.35 | 7.29 (55) | 9.90 | 9.90 (100) | 6.00 | 4.85 (81) |
| राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2801-01-796-02 (योजना) | 43.47 | 23.73 (55) | 38.50 | 38.50 (100) | 13.00 | 10.51 (81) |
| राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2801-01-800-02 (योजना) | 51.18 | 27.95 (55) | 61.60 | 61.60 (100) | 31.00 | 25.08 (81) |
| पुनर्गठित ए.पी.डी.आर.पी. के अधीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण 6801-00-789-01 (सी.एस.एस.) | 4.20 | 4.20 (100) | 5.85 | 2.50 (43) | 18.60 | 15.26 (82) |
| पुनर्गठित ए.पी.डी.आर.पी. के अधीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण 6801-00-796-01 (योजना) | 13.68 | 13.68 (100) | 22.75 | 9.70 (43) | 40.30 | 33.06 (82) |
| पुनर्गठित ए.पी.डी.आर.पी. के अधीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण 6801-00-800-01 (सी.एस.एस.) | 16.11 | 16.11 (100) | 36.40 | 15.54 (43) | 96.10 | 78.83 (82) |
| उत्पादन के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण 6801-00-800-05 (योजना) | 90.00 | 40.00 (44) | 150.00 | 150.00 (100) | 108.00 | 108.00 (100) |

(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)

*स्रोत: वर्ष* 2010-11, 2011-12, 2012-13 के *विनियोग लेखे।*

छः मामलों (21 मामलों में से) में, बचत के कारण नहीं बताए गए। तथापि, शीर्ष '6801-00-800-05- उत्पादन हेतु झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण' के अंतर्गत वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान बचत का कारण क्रमश: झा.रा.वि.बो. से प्रस्तावों की अप्राप्ति एवं स्वर्णरेखा पनबिजली परियोजना के निरीक्षण रिपोर्ट की अप्राप्ति बताई गई।

## अनुदान सं. 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

स्वास्थ्य उप-केंद्र योजना में महत्वपूर्ण बचत हुई जिसे नीचे दर्शाया गया है:

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट | बचत | बजट | बचत | बजट | बचत |
| स्वास्थ्य उप-केन्द्र 2211-00-101-01-(सी पी एस) | 149.98 | 102.26 (68) | 170.80 | 125.56 (74) | 193.64 | 141.55 (73) |

*(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)*

*स्रोत: वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के विनियोग लेखे।*

उपरोक्त मामलों में बचत के कारण भारत सरकार द्वारा कमतर निधियों के अनुमोदन के रूप में सूचित किये गये।

## अनुदान सं. 49- जल संसाधन विभाग

स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत) में वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के दौरान महत्वपूर्ण बचत पायी गयी। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|
| | बजट | बचत | बजट | बचत |
| स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) 4700-80-789-09 | 30.00 | 7.81 (26) | 48.78 | 26.07 (53) |
| स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) 4700-80-796-09 | 30.00 | 16.35 (54) | 70.00 | 19.06 (27) |
| स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) 4700-80-796-10 | 300.00 | 241.07 (80) | 600.00 | 424.95 (71) |

*(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)*

*स्रोत: वर्ष 2011-12, 2012-13 के विनियोग लेखे।*

उपरोक्त बचतों के लिए कोई कारण नहीं बताए गए।

## अनुदान सं. 51- कल्याण विभाग

आदिम जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम एवं सूक्ष्म-आर्थिक सामाजिक संगठन (मेसो) परियोजना के प्रशासन में महत्वपूर्ण बचत हुई। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट | बचत | बजट | बचत | बजट | बचत |
| 2225-02-796-04-आदिम जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम (सी.पी.एस.) | 59.76 | 49.92 (84) | 71.32 | 71.32 (100) | 71.32 | 64.42 (90) |
| 2225-02-796-17-मेसो कार्यक्रम का प्रशासन | 7.50 | 3.17 (42) | 7.50 | 2.33 (31) | 14.11 | 12.17 (86) |

*(कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कुल बजट के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं)*

*स्रोत: वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के विनियोग लेखे।*

2010-11 एवं 2012-13 के दौरान जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई बचतों के लिये कारण भारत सरकार द्वारा निधियों के अविमोचन बताये गये। मेसो परियोजना के अंतर्गत क्रमश: 2010-11 एवं 2012-13 के लिए बचत के कारण अतिरिक्त निधि का प्रावधान एवं गलत उप-शीर्ष में विनियमन को बताया गया। उपरोक्त शीर्षों में 2011-12 के दौरान बचतों के लिये कोई कारण नहीं दिए गए।

### 2.4.3 आकस्मिक निधि से अग्रिम

राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) एवं 283(2) के प्रावधानों के अनुरूप झारखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम 2001 की धारा-4 के अधीन की गई है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के व्यय, जिनका निरस्तीकरण विधान मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने तक अनैच्छिक होगा, को पूरा करने हेतु ही दिया जायेगा। संगत अभिलेखों की समीक्षा ने उजागर किया कि आकस्मिक निधि से अग्रिमों का आहरण उन व्ययों को पूरा करने के लिए किया गया जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के। राज्य में इस निधि की धनराशि ₹ 150 करोड़ है। 33 मौकों पर ₹ 231.21 करोड़ वर्ष 2012-13 के दौरान आहरित किए गए। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान इस निधि से आहरित कुल राशि की क्षतिपूर्ति उसी वर्ष के दौरान की गई। कुछ मामलों के ब्यौरे नीचे **तालिका 2.4** में दिए गए हैं।

**तालिका 2.4: राज्य की आकस्मिकता निधि से व्यय**

| क्र. स. | लेखा शीर्ष | कार्य के विवरण | अग्रिम की राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2052-00-090-24 | मुख्यमंत्री के लिए कार की खरीद | 26.50 |
| 2 | 2052-00-090-25 | यात्रा छुट्टी रियायत | 12.00 |
| 3 | 2013-00-105-02 | मंत्रियों के विवेकाधीन अनुदान | 18.00 |
| 3 | 2013-00-101-01 | कार की खरीद | 5.77 |
| 4 | 2049-01-200-02 | नाबार्ड से प्राप्त ऋणों के ब्याज का भुगतान | 1400.00 |
| 5 | 2203-00-001-01 | कार की खरीद | 7.69 |
| 6 | 2801-80-101-12 | झा.रा.वि..बो. को सहायता अनुदान | 10000.00 |
| | | **कुल** | 11469.96 |

उपरोक्त वर्णित व्यय आकस्मिक निधि से आहरण के मापदण्डों को पूरा नहीं करता क्योंकि ये व्यय न तो अप्रत्याशित हैं और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के हैं। अतएव, ये व्यय राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक स्थगित कर दिए जाने चाहिए थे।

### 2.4.4 वर्ष 2012-13 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य का राज्य विधायिका द्वारा नियमित करवाना अनिवार्य है।

**तालिका 2.5** में वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य विधायिका द्वारा राज्य के संचित निधि से अनुमोदन के विरुद्ध एक विनियोग एवं दो अनुदानों में कुल ₹ 1263.18 करोड़ के आधिक्य का सारांश अन्तर्विष्ट है जिसे संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमित किया जाना आवश्यक है।

**तालिका 2.5 : वर्ष 2012-13 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को नियमित करने की आवश्यकता**

*(₹ करोड़ में)*

| क्र.सं. | अनुदान/विनियोग के नाम व संख्या | कुल अनुदान/विनियोग | व्यय | आधिक्य |
|---|---|---|---|---|
| **भारित** | **विनियोग** | | | |
| 1 | 14-ऋणों का पुनर्भुगतान | 1627.05 | 2183.06 | 556.01 |
| **दत्तमत अनुदान** | | | | |
| 1 | 7-सतर्कता | 11.48 | 11.55 | 0.07 |
| 2 | 15-पेंशन | 2227.75 | 2931.19 | 703.44 |
| 3 | 42-ग्रामीण विकास विभाग | 478.42 | 482.08 | 3.66 |
| | **कुल** | **4344.70** | **5607.88** | **1263.18** |

*स्रोत: झारखण्ड सरकार के वर्ष 2012-13 के विनियोग लेखे*

उपरोक्त अनुदानों में कुल ₹ 1263.18 करोड़ का अधिक्य अनुदान के विभिन्न उपशीर्षो के अन्तर्गत या तो बिना बजट के या बजट से अधिक्य के कारण हुआ।

### 2.4.5 विगत वर्षो से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2011-12 तक प्रावधान से अधिक की गई व्यय ₹ 8540.79 करोड़ की राशि को संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार नियमित किया जाना अभी भी शेष है जिसे ***परिशिष्ट 2.3*** में दर्शाया गया है। अनुदानों/विनियोगों हेतु नियमित की जाने वाली लंबित वर्ष-वार आधिक्य व्यय की राशि का सारांश **तालिका 2.6** में दिया गया है। वर्षों तक अनुदानों/विनियोगों के आधिक्य का नियमित नहीं होना विनियोगों पर वित्त-विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

## तालिका 2.6: विगत वर्षो से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | संख्या | | प्रावधानों से आधिक्य की राशि |
|---|---|---|---|
| | अनुदान | विनियोग | |
| 2001-02 | 3, 25, 32 | | 0.04 |
| 2002-03 | 10, 32 | 13,14 | 1241.49 |
| 2003-04 | 10, 39, 46 | 13,14 | 937.25 |
| 2004-05 | 23, 39, 40 | 13,14 | 576.07 |
| 2005-06 | 10, 29 | 13 | 3121.47 |
| 2006-07 | 38 | 13,14 | 1245.87 |
| 2007-08 | 15 | 14 | 334.44 |
| 2008-09 | 12 | 14 | 228.89 |
| 2009-10 | | 14 | 116.71 |
| 2010-11 | | 13, 15, 32 | 318.40 |
| 2011-12 | 15, 25 | 14 | 420.16 |
| **कुल** | | | **8540.79** |

*स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे*

### 2.4.6 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 47 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) प्राप्त कुल ₹ 1082.11 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अन्तर्गत मूल आबंटन समाप्त नहीं हुए और इन उपशीर्षो के अन्तर्गत विशाल बचत हुई।

### 2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई, जहाँ बचत पूर्वानुमानित है, से दूसरी इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधि की आावश्यकता है, में निधि का अंतरण पुनर्विनियोजन है। वर्ष 2012-13 के दौरान 18 उप-शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाया गया है, अपर्याप्त या अत्यधिक साबित हुआ। आठ योजनाओं/उपशीर्षों में ₹ 22.94 करोड़ की बचत के बावजूद उक्त योजनाओं/ उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.30 करोड़ की अतिरिक्त राशि  प्रदान की गयी जबकि छः योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 1.47 करोड़ की राशि अन्य योजनाओं/उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गई जिसके फलस्वरूप उन योजनाओं में ₹ 2.29 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। यह भी पाया गया कि ₹ 16.92 करोड़ की राशि चार योजनाओं/उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजित की जो उन योजनाओं में ₹ 1.50 करोड़ के आधिक्य व्यय को देखते हुए अपर्याप्त  साबित हुए।

### 2.4.8 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण नहीं करना

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार व्यय करने वाले विभाग द्वारा जब भी बचत प्रत्याशित हो, अनुदानों/विनियोगो या उसके किसी भाग का अभ्यर्पण वित्त विभाग को किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 9225.13 करोड़ के कुल बचत में से 27 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत कुल ₹ 7581.47 करोड़ के महत्वपूर्ण बचत (प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ और अधिक) हुए। इनमें से कुल ₹ 1496.77 करोड़ (कुल बचत का 20 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं किये गये, जिसके ब्यौरे ***परिशिष्ट 2.6*** में दिये गये है।

इसके अलावा, 123 मामलों, जहाँ अभ्यर्पण की राशि प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक थी, ₹ 4479.51 करोड़ की राशि मार्च 2013 के अंतिम दो कार्य दिवस में अभ्यर्पित की गई (***परिशिष्ट 2.7***), जिससे अन्य विकास परक उद्देश्यों में इन निधियों के उपयोग का कोई अवसर नहीं मिला। यह कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

## 2.5 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की जल्दबाजी से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिये कि, बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का रख-रखाव किया जाता है, व्यय का समरूप प्रवाह आवश्यक है। तथापि, ***परिशिष्ट 2.8*** में सूचीबद्ध 18 लेखा शीर्षो में वर्ष 2012-13 के अंतिम तिमाही एवं अन्तिम महीने में किया गया व्यय (प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक) वर्ष के कुल व्यय के 50 *प्रतिशत* से अधिक था।

यह देखा गया कि मुख्य शीर्षो '2810- उर्जा का अपरंपरागत स्रोत' 'नये एवं नवीकरणीय उर्जा' के लिए और '3075- परिवहन' 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजनाओं' के अधीन 'लाभांश राहत एवं अन्य आकस्मिक व्यय के तहत रेलवे को सब्सिडी' हेतु सम्पूर्ण निधियों का व्यय मार्च 2013 के महीने में किया गया।

## 2.6 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

यद्यपि महालेखाकर (लेखा एवं हक.) की बही से नियंत्रक अधिकारी (नि.अ.) द्वारा विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन हमारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से बतलाया गया, तथापि वर्ष 2012-13 के दौरान विसंगतियाँ सतत रूप से जारी रहीं। यह देखा गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 30011.67 करोड़ के कुल प्राप्तियों हेतु 73 नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कुल ₹ 14641.32 करोड़ (48.78 *प्रतिशत*) का समाशोधन नहीं किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 30502.17 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 23400.20 करोड़ (76.71 *प्रतिशत*) के व्यय का समाशोधन 73 नियंत्रक अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (ले. एवं ह.) झारखण्ड के बही के साथ नहीं

किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल ₹ 17051.81 करोड़, प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक का असमाशोधित व्यय, ***परिशिष्ट 2.9*** में दिया गया है।

महालेखाकार (ले. एवं ह.) के बही से विभागीय आँकड़ों के असमाशोधन के कारण, प्राप्तियों एवं व्ययों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है।

## 2.7 अनुदान सं.1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव

वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान सं.1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा की गयी। इस अनुदान में छः[2] राजस्व मुख्य लेखा शीर्ष एवं एक[3] पूँजीगत मुख्य लेखा शीर्ष हैं। महत्वपूर्ण अवलोकनों का सारांश निम्नानुसार है:

➢ **बजटीय प्रकिया का अनुसरण न होना**

वित्त विभाग (वि.वि.) के निर्देशानुसार (18 नवम्बर 2011) कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 के बजट आकलन (ब.आ.) एवं बजटीय लेन-देन के व्यापक परिव्यय (सी.ओ.बी.टी.) की एक प्रति वित्त विभाग को दिनांक 24 दिसम्बर 2011 तक प्रेषित किया जाना है। हम लोगों ने अवलोकन किया कि योजना व्यय का ब.आ. एवं सी.ओ.बी.टी. दिनांक 4 फरवरी 2012 को वित्त विभाग को सौंपा गया। इस प्रकार, विभाग ने उपस्थापन सारणी का अनुसरण नहीं किया।

लेखापरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर निदेशालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों से वांछित सूचनाओं की प्राप्ति एवं आकलन तैयार करने के आधार के विषय में कोई सूचना जमा नहीं किया। आगे, जिला कृषि कार्यालय (जि.कृ.का.) राँची के अभिलेखों की जाँच परीक्षा के दौरान हमलोगों ने अवलोकन किया कि वर्ष 2012-13 के लिए विभाग द्वारा योजना बजट आकलन तैयार नहीं किया गया। जि.कृ.का. ने बताया (19 जुलाई 2013) कि उनसे योजना बजट आकलन नहीं माँगा गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निदेशालय द्वारा तैयार किये गये योजना बजट आकलन में सभी क्षेत्रीय इकाइयों के इनपुट शामिल नहीं किये गये।

➢ **बढ़ाया हुआ बजट प्रावधान**

हमलोगों नें अवलोकन किया कि वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 718.73 करोड़[4] के कुल बजट प्रावधान में से ₹ 454.48 करोड़[5] (63 *प्रतिशत*) का व्यय विभाग द्वारा किया गया। ₹ 264.25 करोड़[6] के कुल बचत में से ₹ 19.95 करोड़ व्यपगत् हो गया एवं ₹ 249.76 करोड़ अभ्यर्पित की गयी।

---

[2] प्रमुख शीर्ष 2401, 2402, 2415, 2435, 3451 एवं 3475

[3] प्रमुख शीर्ष 4401

[4] राजस्व : ₹ 710.73 करोड़, पूँजी: ₹ 8.00 करोड़

[5] राजस्व : ₹ 446.48 करोड़, पूँजी: ₹ 8.00 करोड़

[6] (-) ₹ 5.46 करोड़ के अधिक व्यय सहित

हमलोगों ने यह भी अवलोकन किया कि विभाग के पास वर्ष 2009-10, वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 के दौरान क्रमश: ₹ 180.61 करोड़, ₹ 182.41 करोड़ एवं ₹ 229.82 करोड़ का सतत बचत था।

इस विषय में पूछे जाने (अगस्त 2013) पर, विभाग ने बतलाया (सितम्बर 2013) कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 446.47 करोड़ के पुनरीक्षित परिव्यय के सापेक्ष ₹ 349.65 करोड़ का योजना व्यय प्रतिवेदित की गई जबकि दिया गया जवाब वास्तविक व्यय और आकलन के बीच वृहत् अंतर को इंगित किया, गैर-योजना व्यय आकलनों के विषय में विभाग ने कुछ नहीं बताया।

➢ **परिहार्य/अनियमित बजट प्रावधान**

- विनियोग लेखे 2012-13 के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि 20 उप-शीर्षो (कुल 124 में से) के अन्तर्गत कुल ₹ 100 करोड़ के सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा (***परिशिष्ट 2.10***) एवं सभी को अभ्यर्पित कर दिया गया। केन्द्रीय योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विस्तार सुधार, एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए राशियाँ भा.स. द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को आर.टी.जी.एस. (इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निधि अंतरण की एक प्रणाली) के माध्यम से अंतरित की जाती है। हमलोगों ने यह अवलोकन किया कि वर्ष 2012-13 के दौरान इन तीन योजनाओं के लिए ₹ 76.68 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया जैसे कि नीचे दिखाया गया है:

*(₹ करोड़ में)*

| योजना | प्रमुख शीर्ष / लघु शीर्ष | बजट प्रावधान |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम | 2401- कृषि- पशुपालन /00/109-विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण/ 28-राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम | 20.63 |
| | 2401- कृषि- पशुपालन /00/796-जनजाति क्षेत्र- उपयोजना / 28-राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम | 27.54 |
| एक्सटेंशन सुधार | 2401- कृषि- पशुपालन /00/796- जनजाति क्षेत्र- उपयोजना/ 19-विस्तार सुधार | 22.50 |
| सूक्ष्म सिंचाई योजना | 2401- कृषि- पशुपालन /00/109-विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण /29-सूक्ष्म सिंचाई योजना | 2.61 |
| | 2401- कृषि- पशुपालन/00/796- जनजाति क्षेत्र- उपयोजना /29- सूक्ष्म सिंचाई योजना | 3.40 |
| | **कुल** | **76.68** |

चूंकि, तत्पश्चात भा.स. द्वारा राशि राज्य के तीन[7] कार्यान्वयन अभिकरणों को बाद में उपलब्ध करायी गयी, परिणामस्वरूप राज्य बजट में उपलब्ध

[7] 1. निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राँची, 2. निदेशक राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान राँची और 3. क्षेत्रीय नोडल अधिकारी राष्ट्रीय सूक्ष्म सिचाई मिशन ,राँची

करायी गयी राशि पूरे साल अप्रयुक्त रही जिससे ₹ 76.68 करोड़ का बचत हुआ। सम्पूर्ण बचत राशि 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित कर दी गयी।

- जि.कृ.का. राँची के अभिलेखों के जाँच परीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि प्रमाणित धान के बीज की खरीद दर (पिछले वर्ष से) में पुनरीक्षण के कारण अंतर राशि की क्षतिपूर्ति हेतु जि.कृ.का, राँची को वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 61.68 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी। हमलोगों ने अवलोकन किया कि सम्पूर्ण राशि 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित कर दी गयी। जि.कृ.का. ने कहा कि पिछले वर्ष 2011-12 में प्रमाणित धान के बीज के क्रय हेतु उपलब्ध करायी गई ₹ 448.62 लाख में से मात्र ₹ 197.78 लाख ही व्यय किया गया। इस तरह वर्ष 2012-13 के लिए कोई माँग नहीं की गई।

➢ **परिहार्य अनुपूरक प्रावधान**

वर्ष के दौरान 15 उपशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 9.70 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रावधान किया गया यद्‌यपि, इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 36.27 करोड़ का बचत हुआ (***परिशिष्ट 2.11***)। इस प्रकार, इन 15 उप-शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

➢ **वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण**

विभाग द्‌वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 229.01 करोड़[8] का अभ्यर्पण किया गया जिससे इन निधियों को किसी अन्य योजनाओं पर व्यय करने के लिए सरकार के पास कोई अवसर ही नहीं रहा।

➢ **बजटीय प्रावधान से अधिक व्यय**

बिहार बजट संहिता (झारखण्ड सरकार द्‌वारा यथा अंगीकृत) के नियम 138 के अनुसार, आधिक्य व्यय से दृढ़तापूर्वक बचा जाना चाहिए।

हमलोगों ने अवलोकन किया कि मुख्य शीर्ष 2401, 2402, 2415 एवं 3451 (***परिशिष्ट 2.12***) के अन्तर्गत 31 उप-शीर्षों (अनुदान संख्या-1 के कुल 124 में से) में ₹ 5.47 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ जो व्यय पर त्रुटिपूर्ण नियंत्रण को इंगित करता है।

➢ **व्यय का वेग**

कुल व्यय ₹ 454.48 करोड़ में से ₹ 244.68 करोड़ (53.84 *प्रतिशत*) का व्यय मार्च 2013 में हुआ। 60 उप-शीर्षों ( कुल 124 में से) में 60 *प्रतिशत* से अधिक व्यय मार्च 2013 में हुआ। वर्ष के अंतिम माह में विशाल व्यय बजट संहिता के नियम 113 के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

[8] राज्य योजना ₹ 95.20 करोड़, राज्य गैर योजना ₹ 16.89 करोड़ एवं केन्द्र अंश ₹ 116.92 करोड़

➢ **निधि का अनियमित आहरण**

जि.कृ.का. राँची के अभिलेखों से यह अवलोकन किया गया कि शीर्ष 2401-00-796-49 (ग्रामीण बीज योजना) के अंतर्गत जि.कृ.का. को ₹ 15.15 लाख उपलब्ध कराया गया। यह राशि बीज प्रसाधन संयंत्र के क्रय हेतु 31 मार्च 2013 को आहरित किया गया एवं इसे जि.कृ.का. के चालू खाते में रख लिया गया। जुलाई 2013 तक बीज प्रसाधन भवन, जिसमें मशीन अधिष्ठापित किया जाना था, का निर्माण नहीं किया गया था। बिना नितांत आवश्यकता के निधि का आहरण, जो इसे व्यपगत होने से बचाने के लिए किया गया, राज्य के वित्तीय नियमों के विरुद्ध था। जुलाई 2013 में इंगित करने पर जि.कृ.का, राँची ने कहा (जुलाई 2013) कि उक्त राशि कोषागार में जमा कर दी जाएगी।

➢ **विस्तृत आकस्मिक विपत्र (वि.आ.वि.) का अप्रस्तुतीकरण**

हमलोगों ने अवलोकन किया कि 34 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान 60 ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 34.08 करोड़ की राशि आहरित की गई जिसके विरुद्ध ₹ 6.11 करोड़ (18 *प्रतिशत*) का डी.सी. विपत्र जमा किया गया जिससे ₹ 27.97 करोड़ (82 *प्रतिशत*) की राशि का 57 ए.सी. विपत्र जून 2013 तक बकाया रहा (***परिशिष्ट 2.13***)।

इस प्रकार की विशाल राशियों के लिए डी. सी. विपत्र समय पर नहीं जमा किया जाना राज्य के नियमों/प्रावधानों के विरुद्ध था। इससे सरकारी धन के दुरूपयोग की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता है। बकाया ए.सी. विपत्र के कारण, इस वर्ष के लिए विभाग का व्यय इस सीमा से अधिक बताया गया।

## 2.8 निष्कर्ष

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 9225.13 करोड़ का विशाल बचत था जो अनुचित बजट आकलन को दर्शाता है। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षो के अन्तर्गत विशाल बचत राज्य के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से जुड़े 15 विभागों में विगत 5 वर्षों से सतत् बचत भी देखी गयी।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रावधानों से₹ 1263.18 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसे संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित करने की आवश्कता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001-12 के दौरान हुए अधिक व्यय को भी नियमित करना शेष था।

वर्ष 2012-13 के दौरान नियंत्रक अधिकारियों ने विभागों के व्यय एवं प्राप्तियों का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं ह.) के बही के साथ नहीं किया।

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग ने बजट संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जो विभाग में बजटीय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

## 2.9 अनुशंसाएँ

- सरकारी विभागों में विशाल बचत को रोकने के लिये, खासकर जहाँ सतत बचत हुई एवं अनुपूरक अनुदान लेने के लिये, जो अप्रयुक्त रह जाती है, बजटीय नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- चालू वर्ष एवं विगत वर्षों में हुए अधिक व्यय के नियमन को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।
- नियंत्रक अधिकारी को आय एवं व्यय के आँकड़ों का समाशोधन प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं ह.) के बही के साथ कर लेना चाहिए।
- कृषि एवं गन्ना विकास विभाग को बजट अनुवीक्षण प्रणाली अपनाकर विभाग में बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण करना चाहिए।